



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122020-223436
CG-DL-E-02122020-223436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]
No. 617]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2020/अग्राहायण 11, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2020/AGRAHAYANA 11, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सं. 43/2020- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 748(अ).—जहां कि यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीन तेइपेई और संयुक्त अरब अमीरात (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित 'टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20 के अंतर्गत आती है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्ष संख्या 6/43/2019-डीजीटीआर, दिनांक 4 सितंबर, 2020, जिसे दिनांक 4 सितंबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम तौर पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात पाटित मूल्य पर किया गया है;

- (ii) पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के आयात में समग्र रूप तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है
- (iii) यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iv) घरेलू उद्योग को हुई यह क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के पाटित आयात के कारण हुई है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	कोवेन्त्रो ड्यूटचलैंड ए जी	221.04	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
2.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	बोरसोडकैम जेडआरटी	102.05	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
3.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	उक्त क्रम संख्या 1 एवं 2 में दिए गए उत्पादकों से इतर कोई भी उत्पादक	265.03	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
4.		टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई)	जिन पर प्रतिपाटन	यूरोपीय संघ	कोई भी	265.03	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर

	29291020	जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश					
5.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सादरा केमिकल कंपनी	275.01	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
6.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	उक्त क्रम संख्या 5 में दिए गए उत्पादकों से इतर कोई भी उत्पादक	361.76	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
7.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी	361.76	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
8.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	चीन तेइपेई	चीन तेइपेई सहित कोई भी देश	कोई भी	323.25	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
9.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश	चीन तेइपेई	कोई भी	323.25	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
10.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई)	संयुक्त अरब	संयुक्त अरब	कोई भी	405.97	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर

		जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	अमीरात	अमीरात सहित कोई भी देश				
11.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश	संयुक्त अरब अमीरात	कोई भी	405.97	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/150/2020 –टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2020

No. 43/2020-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 748(E). —Whereas, in the matter of ‘Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2929 10 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings No. 6/43/2019-DGTR, dated the 4th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th September, 2020, has provisionally concluded that-

- the product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices;
- there is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in absolute terms as well as in relation to its production and consumption in India, during the period of investigation as compared to the previous year;
- the domestic industry has suffered material injury;

(iv) material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	EU	Any Country including EU	Covestro Deutschland AG	221.04	Metric Tonne	US\$
2.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	EU	Any Country including EU	BorsodChem Zrt	102.05	Metric Tonne	US\$
3.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	EU	Any Country including EU	Any other producer other than serial number 1 and 2 above	265.03	Metric Tonne	US\$
4.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Any Country other than countries attracting ADD	EU	Any	265.03	Metric Tonne	US\$
5.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Saudi Arabia	Any Country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	275.01	Metric Tonne	US\$
6.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Saudi Arabia	Any Country including Saudi Arabia	Any other producer other than serial number 5 above	361.76	Metric Tonne	US\$
7.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Any Country other than countries attracting	Saudi Arabia	Any	361.76	Metric Tonne	US\$

			ADD					
8.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Chinese Taipei	Any Country including Chinese Taipei	Any	323.25	Metric Tonne	US\$
9.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Any Country other than countries attracting ADD	Chinese Taipei	Any	323.25	Metric Tonne	US\$
10.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	UAE	Any Country including UAE	Any	405.97	Metric Tonne	US\$
11.	29291020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Any Country other than countries attracting ADD	UAE	Any	405.97	Metric Tonne	US\$

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/150/2020 –TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.